(21) 122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3253–दो/13 विरूद्व आदेष दिनांक 08–07–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग, रीवा का राजस्व प्रकरण 1076/अपील/ 2011–12

---

1. मो. असलम खोखर तनय हाजी अब्दुल गजूर खीखर
   निवासी जे. आर. बिरला रोड सतना
   तहसील रघुॅराज नगर जिला सतना म0प्र0
2. मनोज अग्निहोत्री तनय नरसिंह नारायण अग्निहोत्री
   निवासी वार्ड नं. 12 बदखर तहसील
   राघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

1. अंजू तिवारी पत्नी नारायण प्रसाद तिवारी
   निवासी ग्राम महुरछ कदैला तहसील
   रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
2. रामभूषण तनय कमला प्रसाद ब्रा.
   सा. नरसिंहपुर तहसील रामपुर बाघेलान
   जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री राकेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री विपिन त्रिपाठी, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक29/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग, रीवा के आदेश दिनांक 08–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पा. द्वारा तहसीलदार, रामपुर बाघेलान के रा.प्र.क. 23/अ6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 06–12–07 एवं संलग्न प्रकरण 140/अपील/09–10 के साथ पंजी कं. 02 में पारित आदेश दिनांक 24–4–08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20–6–2012 को अनावेदक कमांक 1 की अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 08–07–2013 से आवेदक की अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक ने मात्र मृतक लक्ष्मी बाई को पक्षकार बनाकर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। मूल वसीयत भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार ने रा.प्र.क. 23/अ6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 06–12–07 एवं संलग्न प्रकरण 140/अपील/09–10 के साथ पंजी कं. 02 वसीयत के आधार पर नामांतरण किया है। वसीयत के आधार पर तब तक नामांतरण स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध न कर दिया गया हो। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20–6–2012 से वसीयत को प्रमाणित नहीं पाया है क्योंकि वसीयत साक्ष्यों से सत्य सिद्ध नहीं हुई। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है कि वसीयत साक्ष्यों से सिद्ध नहीं की गई है इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई है। स्पष्ट है कि वसीयत के सिद्ध न होने से नामांतरण निरस्त हो चुका है ऐसी स्थिति में जब विकेता

(रामभूषण) को ही किसी भूमि के स्वत्व प्राप्त नहीं होते तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (आवेदकगण) को विकय पत्र संपादित कर भूमि विकय कर दी हो, तो उसे भी स्वत्व प्राप्त नहीं होते। इस प्रकरण में राजभूषण का नामांतरण ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है तब उसके द्वारा आवेदक के पक्ष में विकय पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय से पारित विकय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 24–4–08 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है। इस न्यायालय में आवेदकगण ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर सके जिससे निगरानी को बल मिलता हो।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08–7–2013 स्थिर रखा जाता है।

28/01/19

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर